

R.Cms 09
2019/0002

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

दिनांक
6/8/19


राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

सिणधरी

बनाम लाली 15/0 कास्टमाच वर गुलाबनाथ
कालकेलिका सिणधरी-यांतीर

किस्म मुकदमा- राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मु. न. 09 सन/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/7/19	<p>पटवारी हल्का <u>सिणधरी</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2076 में मौजा <u>सिणधरी-यांतीर</u> के खसरा संख्या <u>61</u> रकबा <u>0.003</u> किस्म भूमि <u>गैर सायल</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर <u>क</u> कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>06/8/19</u> को वमुकाम सिणधरी पेश हो।</p>	
6/8/19	<p>तहसीलदार सिणधरी</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। गैर सायल उपस्थित। पटवारी हल्का उपस्थित। गैर सायल के भपडे कबले के बावत कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किने, गैर सायल के गै. भू. गैर सायल के पत्रावली पर व कास्टमाच वर गुलाबनाथ</p>	 <p>लाली 15/0</p> <p>NO SPD</p>

करना स्वीकार किया, अतः गैर साफल्य
को भाविबुद्धी मानते हुए, पत्रावली
फैलाने सुगार है। निर्धार्य भूखण्ड के
छिटा जाकर शामिल पत्रावली है।
निर्णय सुके न्यायालय के सुनाया गया
पत्रावली फैलाने सुगार होकर
दाखिल दफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर